यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अवस्थापना केन्द्र, सेक्टर-ओमेगा, बी-2, ग्रेटर नोएडा सिटी- 201308

पत्रांक: वाई.ई.ए./एस्टेट/8A-27/1035
दिनांक 05/03/2014

सेवा में,

मैसर्स कॉन्सिटोरा रियल इन्फ्रा प्रा0 लि0
डी-630, न्यू अंडर्स कॉलोनी
नई दिल्ली-65

गुरुग्राम अपने अभ्यावेदन पत्र दिनांक- 26/08/2014 पर सम्पूर्ण शुल्क जमा करने उपरान्त आपके द्वारा भूखण्ड संख्या जी.एच-बी-1/2, (क्षेत्रफल- 27011.50 वर्ग मीटर) सैक्टर-28, गुरुग्राम एक्सटेंशन का पूरा राशि के निस्तार के लिये भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संलग्न डिस्क्रीपनसी प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति पूर्व कार्यालय अधिशासी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह मानचित्र दिनांक-31/12/2013 तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विवाद जैसे (नगर पालिकाएं, महापा अधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा व्यक्तिगत विवादों प्रकरण से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. मात्र मानचित्र बिना प्रयोजन हेतु स्वीकृत बनाया गया है योजना उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुपालय नहीं होगा। किसी भी परिवर्तन के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में शिलान्यास कार्य प्रारम्भ अन्य कोई व्यक्ति दावा करेगा तो वह किसी किस्म आर्थिक क्षति देय होगा।
6. दस्तावेज व विभागीयों द्वारा संतुष्ट से मानचित्र अवलोन कि जब यह पूरे तो उसमें चलने किसी अन्य भूमि का मालिक की ओर मालिक प्रोपोर्टी न हो।
7. आवंटी द्वारा भवन सम्बन्धी मुकदमा के सामने रखने से दावा पर मानचित्र अस्वीकृत नहीं होगा करेंगे।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर लगाया होगा ताकि उपयोगी सीमा पर कोई भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के रेखांकित्रीकरण अनुसार एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की स्थान विभिन्नकारी के निर्माण के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी स्वयमेव का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त उद्यमकर्ता का अनुसार एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित करने के बाद ही भूखण्ड का निर्माण कार्य शुरू करेंगा।
9. आवंटी मेलेनहुन तार/अन्य तार का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
10. सड़क पर अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निर्माण अथवा सीमा नहीं बनाये जायेंगे।
11. आवंटी द्वारा उक्त एवं यह भी निवासी की व्यवस्था का निर्धारण प्राधिकरण के परिक्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा कार्यालय एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी नहीं करेंगा।
12. यह मानचित्र दिनांक 27/02/2014 तो आवंटी तथा वैध पंजीकृत कराये एग्रीमेन्ट को पाने के अधिकार उपरान्त ही अथवा एसको पुनर्नवीनीकरण करा लिया हो। यदि के अधिकार समाप्त/पुनर्नवीनीकरण होने की दशा में मानचित्र की वैधता, प्लाट की कैंसल तिथि तक समाप्त जायेगा।
13. आवंटी को अधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय समाधिकार विभाग के नियमानुसार समस्त पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. संवीक्षित मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भाग कार्य मानचित्र की प्रेषण तिथि से अन्यत्र पूरा होने के उपरान्त अधिकारी द्वारा पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकार पत्र उपलब्ध कराना तथा तथा सिंचाई प्रयोजन से प्रमाण हेतु भवन को प्रदान में नहीं लाया जायेगा।
15. ऐन भारत कार्यालय का प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित संशोधन के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
17. वर्तमान नियम, अधिनियम विनियम आदि नियमों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. सार्वजनिक रूप से अवरोध गतिविधियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. इस पत्र की संवीक्षुति अवधि में संवेदा 30 प्रतिशत भाग की ईकाई तक है। एसएमटी अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरीक्षण विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्ण में संवीक्षुत भव एवं मानचित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा मानचित्र संवीक्षुत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए अपनी शेष अतिरिक्त शुल्क भरी जिला पालिका तथा मानचित्र की प्रेषण पूर्व में निर्गत तिथि से मान्य होगी।
20. दिनांक-28 के पू. नियमन मानचित्र हेतु संवीक्षुति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
21. यदि अवशेषों से ली हेरिटेज स्थलों एवं प्राचीन स्थलों को संशोधित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22. भवन पर शासन/पंचायत/बीडा होने की दशा में उसे निरीक्षण में पाषाणांकित कर संशोधित किया जायेगा।
23. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा अधिग्रहण उक्त भूमि में कोई विवाद प्रकाश आती है तो उस पर पार्टी की अपनी जोखिम निर्माण शुरू ही प्राधिकारण रूप से होगा, उक्त भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
24. अथॉरिटी द्वारा मानचित्र के अनुसार एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
25. भूमि अन्य विवाद/संबंधित भूमि किसी के प्रकाशित प्रकाश पत्र आदि भरे होंगे।
26. रेपेटाबिलिटी द्वारा दिशानिर्देश/नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक– संवीक्षुत मानचित्रों की प्रति।

(दीपा भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपि:
1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक–नियोजन